न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **297/2024** दायर दिनॉक **06.08.2025**

वादी

1. केसर देवी पुत्री खुमाराम पत्नी मदनलाल जाति मेघवाल निवासी छापरी कलां तहसील मौलासर हाल निवासी दीनदारपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. अमरचन्द पुत्र स्व. भंवरलाल
2. भोमाराम पुत्र स्व. भंवरलाल
3. सोहनलाल पुत्र पुत्र स्व. भंवरलाल
4. भंवरी पत्नी स्व. भंवरलाल
5. सिणगारी पुत्री स्व. मांगीलाल
6. निवासराम पुत्र स्व. मांगीलाल
7. भंवरलाल पुत्र स्व. रामदेव उर्फ रामदीन
8. रामस्वरूप पुत्र स्व. रामदेव उर्फ रामदीन
9. बंशीलाल पुत्र स्व. रामदेव उर्फ रामदीन
10. लक्ष्मण पुत्र स्व. रामदेव उर्फ रामदीन
11. नन्दकिशोर पुत्र स्व. रामदेव उर्फ रामदीन
12. धर्माराम पुत्र स्व. रामदेव उर्फ रामदीन
13. कैलाश पुत्र स्व. रामदेव उर्फ रामदीन
14. केसर देवी पत्नी स्व. रामदेव उर्फ रामदीन
15. मदनलाल पुत्र स्व. खुमाराम
16. सुरजा पुत्री स्व. खुमाराम
17. गुलाब पुत्री स्व. खुमाराम
18. कमला पुत्री स्व. खुमाराम
19. मंगला राम पुत्र स्व. लिछमा
20. देबुराम पुत्र स्व. लिछमा
21. पारू पुत्री स्व. लिछमा
22. रूकमा पुत्री स्व. लिछमा
23. सोहनी पुत्री स्व. लिछमा
24. भंवरी पुत्री स्व. लिछमा समस्त जाति मेघवाल निवासीगण छापरी कलां तहसील मौलासर जिला डीडवाना– कुचामन
25. दुलाराम पुत्र चन्द्राराम जाति मेघवाल निवासी लादडिया तहसील मौलासर
26. कमला पत्नी महेश कुमार रेगर निवासी छापरी कलां तहसील मौलासर
27. तहसीलदार मौलासर

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, [illegible] दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R. [illegible] Act

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 C.P.C.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:32:23 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित:–

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

1. श्री समंदर सिंह नाथावत, वकील, वादी की ओर से।
2. श्री अल्ताफ हुसैन वकील प्रतिवादी संख्या 1, व 6 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक **29.10.2025**

वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 6 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का दिनांक 16.09.2025 को पेश हुआ। प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी द्वारा एक मिथ्या तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया हुआ है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

वादीनी ने स्वयं को स्व. खुमाराम की पुत्री कथित करते हुए पुराने खसरा नम्बर 143, 147, 176 कुल रकबा 69.14 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 160, 161, 162, 96, 167, 318, 317 वाके सरहद छापरी कलां की भूमि को पुश्तैनी कथित करते जन्म से अधिकार होना कथित करते हुए वाद विधि विरूद्ध झूठा बिनाय दावा गढकर प्रस्तुत किया है। जबकि वादीनी का पिता खुमाराम अपने रिश्तेदार भैरूराम के अपनी अल्प आयु में ही गोद चला गया था तथा भैरू के खसरा नम्बर 120 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 121 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा वाके सरहद अलखपुरा की खातेदारी वादी के पिता खुमानाराम खौले भैरूराम के नाम दर्ज हुई तथा उक्त भूमि को खुमानाराम ने दिनांक 03.03.1987 को बैचाण कर दी थी। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 लागू होने से पूर्व वादीनी के पिता खुम्माराम का संवत् 2044 से 2047 के बीच स्वर्गवास होकर उनके पुत्र रामदीन, मदनलाल व सुन्दरदेवी के नाम नामान्तरण हो चुका था तथा उक्त अधिनियम से पूर्व उक्त सम्पति का बंटवारा वाद संख्या 123/92 बनुवान रामदेव बनाम मांगीलाल वगैरा में निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.1997 को हो चुका है तथा वादीनी के भाईयों व माता के नाम अलग खाता दर्ज हो चुका है। इस प्रकार वादीनी के पुश्तैनी सम्पति के समस्त अधिकार समाप्त हो चुके हैं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 की धारा 06 अनुसार हस्तगत मामलें में उक्त अधिनियम लागू होने से पूर्व वादीनी के पिता फौत होना व सम्पति का बंटवारा हो चुका था। ऐसी स्थिति में वादीनी के वादग्रस्त संपति के संबंध में राईट टू शूट नहीं होने से वादीनी को वाद कारण उत्पन्न नहीं होता। इसलिये वादीनी का वाद आदेश 07 नियम 11 के प्रावधानों के मताबिक खारिज योग्य है।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर अपने जवाब में बताया कि खेत खसरा नम्बर 143, 147, 176 रकबा 69.14 बीघा सरहद छापरी कलां वादीया के पिता खुमाराम के नाम से संवत 2006 से खातेदारी सुदा भूमि लगातार दर्ज रही है तथा उक्त भूमि का 1/2 कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

वादीया के पिता की स्व अर्जित भूमि थी तथा उनका कब्जा जागीर काल से वादीया के पिता का 1/2 भूमि पर चला आ रहा था तथा 1/2 भूमि खुमाराम के नाम जागीरदारी के समय से कब्जा काश्त व सदैव से काश्त होने के आधार पर वादीया के पिता खुमाराम के नाम 1/2 खातेदारी कानूनी रूप वैध कब्जा व काश्त के आधार पर खातेदारी दर्ज की गई थी। उक्त खसरान भूमि में से 1/2 कृषि भूमि वादीया के दादा की स्वअर्जित कृषि भूमि रही थी तथा वादीया के पिता भेराराम के गोद जाने के तथा जवाब देहन्दा स्वयं साबित करें तथा उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता खुमाराम की सदैव से खातेदारी की व स्व अर्जित रही है तथा संवत् 2006 से वादीया के पिता को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुआ। संवत् 2006 की जमाबंदी में सुकलिया, खुमाणीया पिता चतराराम के नाम 1/2–1/2 खातेदारी राईट प्राप्त हुए है, इस प्रकार वादीया के पिता की यह स्वअर्जित कृर्षि भूमि रही है। वादीया के पिता की मृत्यु के पश्चात् विरासत नामान्तकरण खुमाराम के दो पुत्रों रामदीन, मानलाल व उसकी पत्नी सुन्दरी के नाम गलत से भरा गया है। जबकि खुमाराम के वादीया स्वयं व प्रतिवादीया संख्या 16 सुरजा, 17 गुलाब, 18 कमला, 19 ता 24 की माता लिछमा भी जायन्दा पुत्रीयां है। जिसका नाम भी विरासत नामान्तकरण में भरा जाना चाहिये था, परन्तु वादीया के भाइयों रामदीन, मदनलाल ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके गलत रूप से दो पुत्र व पत्नी के नाम नामान्तकरण दर्ज करवा लिया, जिससे मौजूदा वाद वादीगण की ओर से घोषणा खातेदारी दर्ज करने हेतु पेश किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित वाद संख्या 123/1992 रामदेव बनाम मांगीलाल में वादीया पक्षकार नहीं थी तथा उसको पक्षकार ही नहीं बनाया गया है, जिससे उक्त वाद से वादीया बाउंड नहीं है क्योंकि वादीया अपने पिता खुमाराम की पुत्री की हैसियत से उक्त मौजुदा वाद व घोषणा खातेदारी के प्रस्तुत किया है, जो कानूनी रूप से चलने योग्य है तथा वादीया खुमाराम की जायन्दा पुत्री है, जिससे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस है। जिससे अपने पिता की कृषि भूमियों पर वादीया पुत्री का पूर्ण अधिकार है। वादनिहित सम्पति वादिया के पिता की स्वअर्जित कृषि भूमि रही है तथा पैरा संख्या 3 में कलत कानूनी जानकारी व दस्तावेज के अभाव में व टंकण की त्रुटी से वाद निहित सम्पति पैत्रिक चतराराम की होने का गलत रूप से उल्लेख किया गया है, वस्तुतः उक्त कृषि भूमियॉ में 1/2 कृषि भूमियां वादीया के पिता की स्वअर्जित सम्पतियां है, इस संबंध में वादीया की ओर से अलग से उपरोक्त वाद व प्रार्थना–पत्र में पैत्रिक होने का उल्लेख व चतराराम की होने को गलत [illegible] किया है, जिस बाबत् उक्त वाद पद संख्या 3 व [illegible] में पैत्रिक [illegible] का उल्लेख किया गया है, को हटाने व सत्य कथन जोड़ने हेतु [illegible] से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। मौजूदा में [illegible] 1/2 खातेदारी स्वअर्जित करने के पश्चात् गोद चले जाने पर पैत्रिक पिता की सम्पति से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:32:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः वादी का प्रार्थन पत्र विधि विरूद्ध है तथा आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. की प्रिव्यु में नही आता है।

विद्वान वकुलाय पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये प्रतिवादी ने कथन किया कि वादीनी का पिता खुमाराम अपने रिश्तेदार भैरूराम के अपनी अल्प आयु में ही गोद चला गया था तथा भैरू के खसरा नम्बर 120 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 121 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा वाके सरहद अलखपुरा की खातेदारी वादी के पिता खुमानाराम खौले भैरूराम के नाम दर्ज हुई तथा उक्त भूमि को खुमानाराम ने दिनांक 03.03.1987 को बैचाण कर दी थी। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 लागू होने से पूर्व वादीनी के पिता खुम्माराम का संवत् 2044 से 2047 के बीच स्वर्गवास होकर उनके पुत्र रामदीन, मदनलाल व सुन्दरदेवी के नाम नामान्तरण हो चुका था तथा उक्त अधिनियम से पूर्व उक्त सम्पति का बंटवारा वाद संख्या 123/92 बनुवान रामदेव बनाम मांगीलाल वगैरा में निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.1997 को हो चुका है तथा वादीनी के भाईयों व माता के नाम अलग खाता दर्ज हो चुका है। इस प्रकार वादीनी के पुश्तैनी सम्पति के समस्त अधिकार समाप्त हो चुके हैं। अतः वादिनी का वाद खारिज किया जावे। प्रतिउत्तर में वादिनी अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि खेत खसरा नम्बर 143, 147, 176 रकबा 69.4 बीघा सरहद छापरी कलां वादीया के पिता खुमाराम के नाम से संवत् 2006 से खातेदारी सुदा भूमि लगातार दर्ज रही है। वादीया के पिता की मृत्यु के पश्चात् विरासत नामान्तकरण खुमाराम के दो पुत्रों रामदीन, मानलाल व उसकी पत्नी सुन्दरी के नाम गलत से भरा गया है। जबकि खुमाराम के वादीया स्वयं व प्रतिवादीया संख्या 16 सुरजा, 17 गुलाब, 18 कमला, 19 ता 24 की माता लिछमा भी जायन्दा पुत्रीयां है। जिसका नाम भी विरासत नामान्तकरण में भरा जाना चाहिये था, परन्तु वादीया के भाइयों रामदीन, मदनलाल ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके गलत रूप से दो पुत्र व पत्नी के नाम नामान्तकरण दर्ज करवा लिया, जिससे मौजूदा वाद वादीगण की ओर से घोषणा खातेदारी दर्ज करने हेतु पेश किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित वाद संख्या 123/1992 रामदेव बनाम मांगीलाल में वादीया पक्षकार नहीं थी तथा उसको पक्षकार ही नहीं बनाया गया है, जिससे उक्त वाद से वादीया बार्ड नहीं है क्योंकि वादीया अपने पिता खुमाराम की पुत्री की हैसियत से उक्त मौजुदा वाद व घोषणा खातेदारी के प्रस्तुत किया है, जो कानूनी रूप से चलने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:32:23 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया। ... मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 लागू होने से पूर्व वादीनी के पिता खुम्माराम का संवत् 2044 से 2047 के बीच स्वर्गवास होकर उनके पुत्र रामदीन, मदनलाल व सुन्दरदेवी के नाम नामान्तरण हो चुका था तथा

vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उक्त अधिनियम से पूर्व उक्त सम्पति का बंटवारा वाद संख्या 123/92 बनुवान रामदेव बनाम मांगीलाल वगैरा में निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.1997 को हो चुका है तथा वादीनी के भाईयों व माता के नाम अलग खाता दर्ज हो चुका है। इस प्रकार वादीनी के पुश्तैनी सम्पति के समस्त अधिकार समाप्त हो चुके हैं। जबकि वादीया का मुख्य कथन है कि उक्त वर्णित वाद संख्या 123/92 में वादीया पक्षकार नहीं थी तथा उसको पक्षकार ही नहीं बनाया गया है, जिससे उक्त वाद से वादीया बार्ड नहीं है क्योंकि वादीया अपने पिता खुमाराम की पुत्री की हैसियत से उक्त मौजुदा वाद व घोषणा खातेदारी के प्रस्तुत किया है।

वादीनी द्वारा प्रकरण संख्या 123/92 में वादीया को पक्षकार नहीं बनाया जाने के संबंध में किये गये कथन के संबंध में वादीया के पास सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपीलय दायर करवाने हक अधिकार मौजूद है। अतः वादीया का उक्त कथन के आधार पर नया वाद लाने का कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता। एवं प्रतिवादी अधिवक्ता के कथन से न्यायालय सहमत है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 2005 लागू होने से पूर्व ही उक्त सम्पति का बंटवारा वाद संख्या 123/92 बनुवान रामदेव बनाम मांगीलाल वगैरा में निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.1997 को हो चुका है तथा वादीनी के भाईयों व माता के नाम अलग खाता दर्ज हो चुका है। इस प्रकार वादीनी के पुश्तैनी सम्पति के समस्त अधिकार समाप्त हो चुके हैं। अतः उपरोक्त विवचेनों के अधार पर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है एवं वाद वादिया खारीज किया जाता है।

-:: आदेश ::-

व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत प्रतिवादी संख्या 1, व 6 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एव वादीया का वाद परिपोषणीय नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
R.A.S.
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक **29.10.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:32:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
R.A.S.
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना